

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
‘छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.’

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 — आश्विन 11, शक 1940

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-18/2018/10-2. — छत्तीसगढ़ शासन एतद्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुये तथा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 22 को उक्त के साथ पढ़ते हुये छत्तीसगढ़ शासन, इस अधिनियम के उपयोगार्थ, छत्तीसगढ़ के लोक-लेखा के ब्याज उपचित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य-शीर्ष 8121-साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां के नीचे एक विशिष्ट लघु-शीर्ष 129-छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (Chhattisgarh Compensatory Afforestation Fund) के अंतर्गत एक विशेष निधि के रूप में संदर्भित “छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (Chhattisgarh Compensatory Afforestation Fund)” का एतद्वारा गठन किया जाता है.

No. F 8-18/2018/10-2. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 4 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), read with Section 22 of the General Clauses Act, 1897, the State Government hereby establishes for the purposes of this Act, a special Fund referred as ‘State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)’ under interest bearing section of Public Account of State of Chhattisgarh under a distinct Minor head 129-State Compensatory Afforestation Fund-Chhattisgarh (SCAF)’ below the ‘Major Head 8121-General and other Reserve Funds’.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जय सिंह म्हास्के, सचिव.